



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052026-272544
CG-DL-E-14052026-272544

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2348]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 2348]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

का.आ. 2440(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4879(E) तारीख 24/10/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के जगतसिंहपुर जिले में NH55 के कि.मी. 318.00 से कि.मी. 353.45 तक बालिकुदा-मुलकनि के लिए भूमि अधिग्रहण सहित दो लेन+पक्की शोल्डर का चौड़ीकरण और सुदृढीकरण, निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "13/03/2026 को "प्रतिदिन", 13/03/2026 को "समाज" में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के जगतसिंहपुर जिले में NH55 के कि.मी. 318.00 से कि.मी. 353.45 तक बालिकुदा-मुलकनि के लिए भूमि अधिग्रहण सहित दो लेन+पट्टी शोल्डर का चौड़ीकरण और सुदृढीकरण,निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: जगतसिंहपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बालिकुदा					
गांव का नाम: अलाभर					
1	१००३	निजी	चक	0.002	रत्नमणि पानी डबल्यू/ओ:बिस्वनाथ पानी
2	१००४	निजी	चक	0.1619	बटकृष्ण मिश्र हरेकृष्ण मिश्र निरूपमा मिश्र मिनती मिश्र ऍस्/ओ:अनंत मिश्र
3	१००५	निजी	चक	0.001	उछब बेहेरा , आनंद बेहेरा ऍस्/ओ. दैतारी बेहेरा , बामडेव स्वाइन ऍस्/ओ.आनंद स्वाइन
4	१००६	निजी	चक	0.0162	उछब बेहेरा , आनंद बेहेरा ऍस्/ओ. दैतारी बेहेरा
5	१००७	निजी	चक	0.0324	गोपीनाथ पण्डा, उपनी पण्डा ऍस्/ओ. भोलानाथ पण्डा
6	१००८	निजी	चक	0.011	श्री रामेश्वर महादेव बीजे रनपुर मरफत ब्रुंदाबान पण्डा, गोविंद पण्डा, मथुरानन्द पण्डा, शत्रुघ्न पण्डा, मदाना पण्डा, जनार्दन पण्डा ऍस्/ओ: बासुदेव पण्डा, बिस्वनाथ सतपथी ऍस्/ओ: सरबेश्वर सतपथी, बासुदेव सदंगी ऍस्/ओ: भगबत सदंगी
7	१०१३	निजी	चक	0.002	कन्हेई साहू ऍस्/ओ:हरी साहू
8	१०१४	निजी	चक	0.149	लोकनाथ सतपथी ऍस्/ओ: बिनोद सतपथी, सुराजी सतपथी डबल्यू/ओ: नीलकंठ सतपथी, दिबाकर सतपथी डबल्यू/ओ:, सुरेंद्र सतपथी ऍस्/ओ: हृदानन्द सतपथी, डामडोर सतपथी ऍस्/ओ: बालकृष्ण

					सतपथी , सुदर्सन सतपथी ऍस्/ओ: प्राणकृष्ण सतपथी
9	१०१५	निजी	चक	0.0632	दिबाकर सतपथी ,सुरेंद्र सतपथी ऍस्/ओ: ब्रह्मानंद सतपथी
कुल योग				0.4387	

[फा. सं. RO/BBSR/11011/NH/IAHE/39/Smbp-Nuagaon/2017/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th May, 2026

S.O. 2440(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 4879(E) Dated: 24/10/2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Building (widening/four-laning, etc.) Maintenance, management and operation of NH 55 Widening and Strengthening to 2L+PS including LA of Balikuda-Mulakani from Km. 318.00 to Km. 353.45 in the district of Jagatsinghpur in the state of ODISHA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “PRATIDINA” dated 13/03/2026, “SAMAJA” dated 13/03/2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH55 Widening and Strengthening to 2L+PS including LA of Balikuda-Mulakani from Km. 318.00 to Km. 353.45 in the district of Jagatsinghpur in the state of ODISHA.

State: ODISHA			District: Jagatsinghpur		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Balikuda					
Village: Alabhar					
1	1003	Private	Chaka	0.002	Ratnamani Pani W/o:Biswanatha Pani
2	1004	Private	Chaka	0.1619	Batakrushna Mishra Harekrushna Mishra Nirupama Mishra Minati Mishra S/o:Ananta Mishra
3	1005	Private	Chaka	0.001	Uchhaba Behera , Ananda Behera S/o. Daitari Behera , Bamadeba Swain S/o.Ananda Swain

4	1006	Private	Chaka	0.0162	Uchhaba Behera , Ananda Behera S/o. Daitari Behera
5	1007	Private	Chaka	0.0324	Gopinatha Panda, Upani Panda S/o. Bholanatha Panda
6	1008	Private	Chaka	0.011	Sri Rameswar Mahadev Bije Ranapur Marfat Brundabana Panda, Gobinda Panda, Mathurananda Panda, Shatrughna Panda, Madana Panda, Janardhan Panda S/o: Basudev Panda, Biswanatha Satapathy S/o: Sarbeswar Satapathy, Basudev Sadhangi S/o: Bhagabat Sadangi
7	1013	Private	Chaka	0.002	Kanhei Sahoo S/o: Hari Sahoo
8	1014	Private	Chaka	0.149	Lokanatha Satapathy S/o: Binod Satapathy, Suraji Satapathy W/o: Nilakantha Satapathy, Dibakara Satapathy W/o:, Surendra Satapathy S/o: Hrudananda Satapathy, Damadora Satapathy S/o: Balakrushna Satapathy , Sudarsan Satapathy S/o: Pranakrushna Satapathy
9	1015	Private	Chaka	0.0632	Dibakara Satapathy , Surendra Satapathy S/o: Brahmananda Satapathy
Total				0.4387	

[F. No. RO/BBSR/11011/NH/IAHE/39/Smbp-Nuagaon/2017/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director